



महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(An Autonomous Institute of Govt. of Rajasthan)

Nasirabad Road, Makhapura, Ajmer - 305002

TECHNICAL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM (TEQIP-III)

website: www.gweca.ac.in

Email : teqip@gweca.ac.in

Ph. No.: 0145-2695534-35

Fax No.:0145-2695102

रा.म.अ.म.अ./टेक्यूप-III/2020-21/1717

दिनांक :

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में संचालित टेक्यूप-III प्रोजेक्ट के अन्तर्गत समस्त NPIU फेक्लटी को निर्देशित किया जाता है कि

- (1) प्रोजेक्ट में क्य किये गये समस्त उपकरण महाविद्यालय /विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करवाये
- (2) प्रोजेक्ट से संबंधित सभी दस्तावेज विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करे जिससे भविष्य में आने वाली वित्तीय समस्याओं का समाधान किया जा सके ।
- (3) महाविद्यालय में संचालित CRS प्रोजेक्ट के अन्तर्गत समस्त P.I.को निर्देशित किया जाता है कि प्रोजेक्ट में क्य किये गये समस्त उपकरण महाविद्यालय /विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करवाये ।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं का पालन करवाने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी । इसके पश्चात ही अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत जारी करें ।

समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा NPIU फेक्लटी से समस्त उपकरण /दस्तावेज दिनांक 31 मार्च 2021 तक आवश्यक रूप से प्राप्त करे लिए जाये एवम संबंधित रिपोर्ट (अदेय-प्रमाण) अपने स्तर से ही तैयार कर दिनांक 31 मार्च 2021 को अपराहन: 12 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे । दिनांक 31 मार्च 2021 को अपराहन: 12 बजे तक आपके द्वारा कोई रिपोर्ट (अदेय-प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जायेगा कि संबंधित NPIU फेक्लटी के विरुद्ध कोई बकाया नहीं है एवं ऐसी स्थिति में संबंधित NPIU फेक्लटी को अंतिम मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा । दिनांक 31 मार्च 2021 के पश्चात् यदि NPIU फेक्लटी के विरुद्ध कोई उपकरण/राशि/दस्तावेज आदि बकाया रहते हैं/रहना पाये जाते हैं तो इस हेतु विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे । उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे तथा NPIU फेक्लटी से समस्त प्रकार दस्तावेज आदि का विभागीय स्तर पर समुचित handing over सुनिश्चित करे ।

प्राचार्य

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. श्रीमान प्राचार्य कार्यालय (श्रीमान प्राचार्य महोदय को सूचनार्थ)
2. कुलसचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. संबंधित को पालनार्थ
5. संस्थापन शाखा

समन्वयक-(टेक्यूप-III)